समाचार
निर्धारित रूट में सिटी बस चलाना सुनिश्चित करें
(निगम आयुक्त ने सिटी आपरेटर को दिये निर्देश)

कोरबा 09 मार्च 2016 –आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने आज सिटी बस आपरेटर को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि सिटी बस के संचालन हेतु प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए रूट पर ही बसों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन रूट या स्थानों का परमिट आपरेटर के पास नहीं है, उन रूटों पर बसों को न चलाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बस स्टाप पर सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से बसों को खड़ा किया जाए।

आयुक्त ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित अपने कक्ष में सिटी बस आपरेटर दुर्गाम्बा प्राईवेट लिमिटेड के प्रोप्राईटर सुनील चतरा, दिनेश शेट्टी एवं श्री राय के साथ ही नोडल अधिकारी एवं निगम के कार्यपालन अभियंता ग्यास अहमद को तलब कर सिटी बसों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने संबंधितों से कड़े शब्दों में कहा कि सिटी बसों हेतु निर्धारित रूट से हटकर अन्य रूट पर बस चलाने से अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति निर्मित होती है, अतः यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि प्रशासन द्वारा जो रूट निर्धारित किये गये है, उन्ही रूटों पर सिटी बसों का संचालन हों। इसके साथ ही निर्धारित रूट में जिस स्थल तक बसों को जाने की अनुमति दी गई है, केवल उसी स्थल तक बस ले जाएं, तत्पश्चात वहां से वापसी करें। आयुक्त ने सिटी बस आपरेटर से कहा कि बसों में चलने वाले ड्राइवर व कंडेक्टर निर्धारित ड्रेस पहने ताकि उनकी पहचान आसान रहे, उन्होने कहा कि यह देखने में आता है कि सिटी बस निर्धारित बस स्टापों से हटकर या बीच सड़क में बस खड़ी कर देते हैं, जो उचित नहीं है, अतः यह सुनिश्चित करें कि बस स्टाप पर सड़क के किनारे बसों को खड़ा किया जाए ताकि यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो। सिटी बस आपरेटर के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन में कतिपय आटो चालकों द्वारा सिटी बस संचालन में हस्ताक्षेप किया जाता है तथा अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति निर्मित की जाती है, इस पर आयुक्त श्री अग्रवाल ने नोडल अधिकारी श्री ग्यास अहमद व सिटी बस आपरेटर से कहा कि वे इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय तथा रेलवे के ए.आर.एम. को अवगत करायें तथा अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति निर्मित करने वालों पर कड़ी कार्यवाही का अनुरोध करें।

स्मार्ट कार्ड हेतु काउंटर स्थापित करें– आयुक्त ने सिटी बस आपरेटर के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सिटी बसों में यात्रा करने वाले इच्छुक नागरिकों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने हेतु काउंटर स्थापित करें। उन्होने कहा कि पुराना बस स्टैण्ड स्थित गीतांजलि भवन तथा टी.पी.नगर में स्मार्ट कार्ड काउंटर बनाए, जहां से इच्छुक नागरिक सुगमतापूर्वक अपने स्मार्ट कार्ड बनवा सके।

स्टापेज चिन्हाकित कर सूची प्रस्तुत करें– आयुक्त श्री अग्रवाल ने सिटी बस संचालन कार्य के नोडल अधिकारी तथा निगम के कार्यपालन अभियंता श्री ग्यास अहमद को निर्देश देते हुए कहा कि सिटी बसों के स्टापेज हेतु तत्काल स्थलों का चिन्हांकन कर बस स्टापों की सूची प्रस्तुत करे तथा यह सुनिश्चित कराएं कि निर्धारित बस स्टापों पर ही सिटी बसों को खड़ा किया जाए।